न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/116/2023 रजू दिनांक: 18.09.2023 रजि0 न0 2023/663

अपीलार्थी:—
श्री मदन सिंह यादव पुत्र हीरा सिंह यादव, निवासी ग्राम पोस्ट गण्डाला तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 23.10.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.10.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1912 दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 07.08.2023 के बिन्दु सं0 3,4 व 5 में अंकित मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक 35314 दिनांक 31.05.2023 भेजे गये पत्र सं0 सतर्कता/मुमं/606 दिनांक 20.06.2023, पत्रांक 35323 दिनांक 31.05.2023 भेजे गये पत्र सं0 सतर्कता/मुमं/607 दिनांक 20.06.2023, पत्रांक 35330 दिनांक 31.05.2023 भेजे गये पत्र सं0 सतर्कता/मुमं/608 दिनांक 20.06.2023, के द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके हे। अपीलार्थी द्वारा अग्रिम कार्यवाही संबंधी जानकारी उक्त कार्यालय में संपर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है। शेष बिन्दुओं पर अंकित पत्र इस कार्यालय को संबोधित नहीं है और ना ही समस्त पत्रों की छायाप्रति ही संलग्न कर उपलब्ध कराई गई है। अतः किसी प्रकार की कार्यवही किया जाना/सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1744—45 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)